भारत निर्वाचन आयोग

अशोक रोड, निर्वाचन सदन, नई दिल्ली-110001

सं. ईसीआई/प्रे.नो./59/2018 दिनांक: 27 अगस्त, 2018

प्रेस नोट

विषय: भारत निर्वाचन आयोग द्वारा सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्यीय राजनैतिक दलों के साथ विभिन्न निर्वाचकीय सुधारों के संबंध में नई दिल्ली में एक बैठक का आयोजन।

आज निर्वाचन आयोग में शामिल श्री ओ.पी.रावत, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, श्री सुनील अरोड़ा, निर्वाचन आयुक्त और श्री अशोक लवासा, निर्वाचन आयुक्त ने निर्वाचनों से संबंधित विभिन्न मामलों के संबंध में विविध मुद्दों पर सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्यीय राजनीतिक दलों के साथ एक गहन संवादात्मक सत्र का आयोजन किया। कुल मिलाकर 7 राष्ट्रीय और 34 राज्यीय दल इसमें उपस्थित हुए। अपनी शुरूआती टिप्पणी में, मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि राजनैतिक दल हमारी निर्वाचन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण हितधारक हैं और आयोग ने सशक्त, निष्पक्ष एवं विश्वसनीय निर्वाचन प्रक्रिया बनाने में उनकी भूमिका को हमेशा महत्व दिया है।

2. मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि राजनैतिक दल सुधार के प्रवर्त्तक हैं और लोगों तथा निर्वाचकों को संगठित करने, उनके राजनैतिक विकल्प को व्यक्त करने में उन्हें सक्षम बनाने हेतु एजेन्ट की भांति कार्य करते हैं। आयोग राजनैतिक दलों को निर्वाचकीय लोकतंत्र को मजबूत बनाने के अपने प्रयास में सबसे महत्वपूर्ण हितधारक के रूप में मानता है। इसके अतिरिक्त, आयोग ने कहा कि आयोग लोगों, मीडिया तथा सभी राजनैतिक दलों का भरोसा एवं विश्वास प्राप्त करके अत्यंत गौरान्वित एवं सम्मानित हुआ है, क्योंकि आयोग की सभी के साथ सम्मानपूर्वक, तटस्थता एवं निष्पक्षता के साथ व्यवहार करने की एक मुक्त नीति है। आयोग ने राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से राजनैतिक वित्तपोषण, मीडिया प्रबंधन तथा सोशल मीडिया में पारदर्शिता लाने, मतदान एवं मतगणना की प्रक्रिया में सभी हितधारकों का भरोसा तथा विश्वास प्राप्त करने और इसी प्रकार पूरे विश्व में एक उदाहरण स्थापित करते हुए अपने देश में लोकतंत्र को मजबूत करने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपने विचार रखने का आग्रह किया। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने नई मीडिया एवं सूचना प्रौद्योगिकी में प्रगति को ध्यान में रखते हुए सभी लोकतांत्रिक देशों द्वारा सामना की जाने वाली चुनौती के बारे में उल्लेख किया और आयोग ऐसे हस्तक्षेप को रोकने के लिए पहल कर रहा है। आयोग ने स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन सुनिश्चित करने हेतु इन चुनौतियों एवं अन्य चुनौतियों का पूरी तरह से सामना करने के लिए राजनैतिक दलों से सुझाव एवं समर्थन मांगा है।

3. सभी दलों ने आयोग को आश्वस्त किया कि वे निर्वाचक नामावली तैयार करने की प्रक्रिया में अपेक्षित समर्थन देंगे। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि निर्वाचक नामावली में नाम हटाए जाने वाली सूची की प्रतियां भी उन्हें उपलब्ध करवाई जाएं। कुछ दलों ने निर्वाचक नामावली को बेहतर रूप से तैयार करने के लिए बूथ लेबल अधिकारियों की प्रणाली को मजबूत बनाने का भी सुझाव दिया। कुछ दलों ने नामावली के पुनरीक्षण के लिए त्योहार के मौसम से बचने का अनुरोध किया। आयोग ने पहले ही इस पर ध्यान दिया है और निर्वाचनरत राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों में पुनरीक्षण 1 सितम्बर से आरम्भ होकर 2 माह तक चलेगा जोकि साधारणत: एक माह की अवधि से अधिक है।

4. राजनैतिक दलों ने आयोग से आग्रह किया कि बेहतर निर्वाचक नामावली प्रबंधन हेतु निर्वाचकों के विवरण को आधार नंबर से जोड़ा जाए।

5. राजनैतिक दलों ने पेड न्यूज पर चिंता व्यक्त की और इस खतरे को दूर करने के लिए इसे एक निर्वाचन अपराध घोषित करने का सुझाव दिया।

6. राजनैतिक दलों ने आयोग को यह भी कहा कि दूरदर्शन और आकाशवाणी की तर्ज पर राजनैतिक दलों को निर्वाचन प्रचार के लिए प्राइवेट मीडिया पर मुफ्त प्रसारण - समय दिया जाना चाहिए।

7. सभी दलों ने सभी निर्वाचकों, विशेषकर दिव्यांगजन निर्वाचकों के लिए निर्वाचनों को समावेशी बनाने में आयोग के प्रयास की सराहना की। उन्होंने स्वीप के अंतर्गत निर्वाचकों की जागरूकता और सहभागिता बढ़ाने के लिए उठाए गए कदम की भी भूरि-भूरि प्रशंसा की।

8. कुछ राजनैतिक दलों ने आयोग से ईवीएम में भरोसा बढ़ाने के लिए वीवीपीएटी पर्चियों के एक निश्चित प्रतिशत की गणना करने का अनुरोध किया। आयोग ने उन्हें आश्वस्त किया कि विशेषज्ञों से प्राप्त इनपुट के आधार पर इस पर विचार किया जा रहा है। आयोग ने यह भी सूचित किया कि कोई भी अभ्यर्थी पहले से विद्यमान कानून के अंतर्गत किसी भी मतदान केन्द्र की वीवीपीएटी की विशिष्ट गणना के लिए संबंधित रिटर्निंग अधिकारी से सम्पर्क कर सकता है।

9. उन्होंने परिषद निर्वाचन के लिए आयोग द्वारा यथाप्रस्तावित अधिकतम व्यय सीमा के संबंध में सुझाव दिया।

10. सभी राजनैतिक दलों ने निर्वाचन प्रक्रिया में महिलाओं की भूमिका को बढ़ाने के लिए कदम उठाने पर चर्चा का स्वागत किया।

11. प्रचार अवधि नहीं होने के दौरान, उन्होंने वर्तमान इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल परिवेश को देखते हुए अधिकाधिक उपायों के लिए सुझाव दिया।

आयोग ने सभी राजनैतिक दलों को आश्वस्त किया कि प्रत्येक सुझाव पर विचार किया जाएगा और आयोग द्वारा समयबद्ध तरीके से इनका जवाब दिया जाएगा।

हस्ताक्षरित/-
(पवन दीवान)
अवर सचिव